

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/

दिनांक

निमित्त:-

जिला कलक्टर महोदय,

बारां।

विषय:- ग्राम पाटोंदा व तिखोद व तहसील अंता में वन विभाग हेतु भूमि आवंटन बाबत।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 4263 दिनांक 08.06.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि हथियादेह मध्यम सिचाई परियोजना अर्न्तगत आपके आदेश क्रमांक F4(7)(3) राजस्व/01/6029-38 दिनांक 07.07.2008 से तहसील अन्ता के ग्राम तिखोद एवं पाटुंदा के कुल किता 17 रकबा 83.98 है0 एवं ग्राम पाटुन्दा कुल किता 20 रकबा 202.52 है0 कुल 286.50 है0 गैर वन भूमि सेट अपार्ट की गई थी इसी क्रम में अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड III बारां के पत्र क्रमांक 1836 दिनांक 11.11.2021 से अवगत कराया गया कि नोनेरा बेराज के डूब क्षेत्र में उक्त सेट अपार्ट में से 44 है0 भूमि डूब में आ जाने से वन विभाग को आवंटित नहीं की जा सकती।

अतः सेट अपार्ट 286.50 है0 में से अब हथियादेह मध्यम सिचाई परियोजना अर्न्तगत अब 242.50 है0 भूमि ही शेष रही उक्त शेष भूमि में से 207.50 है0 भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने से यह 207.50 है0 भूमि परियोजना में लिये जाने की इस कार्यालय की सहमती है।

कुल 35 है0 भूमि पर अतिक्रमण होने से अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड III बारां के पत्र क्रमांक 1142 दिनांक 03.08.2022 से उक्त 35 है0 भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर वन विभाग को संभला दी जायेगी, की अंडरटेकिंग इस कार्यालय में प्रेषित की गई है। यदि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड III बारां द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर वन विभाग को संभला दी जाती है तो इस कार्यालय की सहमती है।

शेष 44 है0 भूमि डूब में आ जाने के कारण 44 है0 राजस्व भूमि सेट अपार्ट करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय


(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां

दिनांक 5-8-22

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/ 8992

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.संभागीय मुख्य वन संरक्षक,कोटा।
- 2.अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड III बारां।


(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां